केवल विभागीय प्रयोग हेतु

कम्प्यूटर परिपत्र संख्या-न्याय-व0प्र0 0पटल/2011-12/ 1112036 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(वाद अनुभाग)

लखनऊ::दिनांक: जुलाई:: 12 2011

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,

समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक) वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश।

विषय : माननीय उच्च न्यायालय में दायर किए जाने वाले पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

मुख्यालय के परिपत्र संख्या-सी0टी0टी0-न्याय-4-पुनरीक्षण-2009-2010/0910023/वाणिज्य कर, दिनांक 22-6-2009 एवं कम्प्यूटर परिपत्र संख्या-0910106 दिनांक 29-3-2010 द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में दायर किये जा रहे औचित्यरहित पुनरीक्षण पर अंकुश लगाने के उददेश्य से निर्देश जारी किये गये थे, जिसमें राज्य प्रतिनिधि मैनुअल में दी गयी व्यवस्था के अनुसार विधि समिति का गठन किये जाने एवं विधि समिति की राय के अनुसार पुनरीक्षण दायर करने का विवरण देते हुए निम्न मुख्य बिन्दुओं का उल्लेख किया गया था :-

1- मा0 उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण केवल विधिक बिन्दु पर दाखिल किये जा सकते है। यदि अधिकरण के निर्णय द्वारा केवल निर्धारित बिक्रयधन में कमी की गयी है अथवा केवल लेखा बहियॉ ही स्वीकार किये जाने का बिन्दु है तो जब तक सबल आधार न हो तब तक पुनरीक्षण की संस्तुति न की जाय। मैनुअल परिपत्र संख्या-न्याय-प्रशा0 धि0/99-2000/577 दिनांक 21-5-99 द्वारा निर्देश दिया गया है कि जो प्रस्ताव पुनरीक्षण दायर करने हेतु प्रेषित किया जाय उस पर सम्बन्धित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) अपनी हस्तलिपि में स्पष्ट व पठनीय विधिक बिन्दु अंकित करेंगे एवं पुनरीक्षण दायर करने की स्पष्ट संस्तुति करेंगे।

2- यदि वाणिज्य कर अधिकरण द्वारा अपने निर्णय में कोई ऐसा तथ्यात्मक विनिश्चय दिया गया है जो अभिलेखों पर उपलब्ध तथ्यों से समर्थित न हो तो पुनरीक्षण में निश्चित रुप से तथ्यात्मक विनिश्चय को भी चुनौती दी जानी चाहिए और पहला बिन्दु इसी को बनाया जाना चाहिए।

3- यदि वाणिज्य कर अधिकरण द्वारा विभागीय द्वितीय अपील में उठाये गये सभी बिन्दुओं पर निर्णय नही दिया गया है और उन कारणों से विभाग का अहित हो रहा हो तो पुनरीक्षण प्रस्ताव में इस बिन्दु पर भी प्रश्न बनाया जाना चाहिए।

परन्तु विभिन्न समीक्षा बैठकों में पाया जा रहा है कि काफी मामलों में पुनरीक्षण दायर किये जाने की स्थिति में अपेक्षित कमी नही आयी है और अब भी काफी संख्या में प्रतिमाह पुनरीक्षण दायर हो रहे हैं और माह मई- 2011 के अन्त तक विभाग द्वारा दायर पुनरीक्षण के मामलों की

संख्या- 11061 हो गयी है, जिसे किसी प्रकार उचित नहीं कहा जा सकता है। अत्यधिक मुकदमें लम्बित होने की स्थिति में राज्य सरकार पर अनावश्यक व्यय भार पड़ता है और प्रभावी पैरवी भी नही हो पाती है। यह भी पाया गया कि ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक) द्वारा उपर्युक्त निर्देशों के अनुसार अपनी हस्तलिपि में विधिक बिन्दुओं का अंकन नही किया जा रहा है जो उचित नही है।

अत: उपर्युक्त परिस्थितियों में यह निर्देश दिये जाते हैं कि मा0 उच्च न्यायालय में केवल विधिक बिन्दु होने तथा सबल आधार होने की स्थिति में पुनरीक्षण दायर किया जाय तथा **जो प्रस्ताव पुनरीक्षण दायर करने हेतु प्रेषित किया जाय उस पर सम्बन्धित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) अनिवार्य रुप से अपने हस्तलिपि में स्पष्ट व पठनीय विधिक बिन्दु अंकित करेंगे एवं पुनरीक्षण दायर करने की स्पष्ट संस्तुति करेंगे।**

यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि **एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1(उ0न्या0कार्य) /एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(उ0न्या0कार्य) इलाहाबाद / लखनऊ द्वारा प्रत्येक तिमाही जोनवार ऐसे मामलो का विवरण अपनी संस्तुति सहित मुख्यालय उपलब्ध कराया जायेगा, जिसमें बिना समुचित आधार के पुनरीक्षण दायर करने की सस्तुति की गयी है। इस रिपोर्ट के आधार पर सम्बन्धित अधिकारियें के विरुद्ध परीक्षणोपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।**

कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(चन्द्रभानु)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

पृ0पत्र संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर, उार प्रदेश शासन।
2- एडीशनल कमिश्नर(विधि) वाणिज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।
3- समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।
4- एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1(उ0न्या0कार्य)/एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(उ0न्या0कार्य) वाणिज्य कर, इलाहाबाद/लखनऊ को अनुपालनार्थ।
5- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(वि0अनु0शा0/प्र0) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
6- ज्वा0 कमिश्नर(मैनुअल अनुभाग) वाणिज्य कर, मुख्यालय को 20 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
7- समस्त डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेन्ट कमिश्नर एवं राज्य प्रतिनिधि, वाणिज्य कर, उ0प्र0।
8- सम्बन्धित पटल सहायक को 20 अतिरिक्त प्रतियों सहित।

ज्वाइन्ट कमिश्नर(वाद) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।